प्रेस नोट दिनाँक- 15.11.2023

(1). आज दिनाँक 15.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शारदीय नवरात्रि के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को **"मिशन शक्ति"** व **''शक्ति दीदी''** के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 10 वलीटर कच्ची व 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया ।

(क). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा पुत्र राजपाल कुशवाहा निवासी सीतापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया

(ख). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह चौकी शिवरामपुर तथा उनके हमराही आरक्षी श्यामू कुमार द्वारा अभियुक्त फूलचन्द्र यादव पुत्र स्व0 शिवपाल यादव निवासी बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी रगौली जिलाकारागार श्री राजीव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी संजय पाल द्वारा मु0सं0 396/2015 धारा 323,504 भादवि0 की वारण्टी अभियुक्ता मैना देवी पत्नी स्व0 ननकूराम यादव तथा मु0सं0 389/94 धारा 379,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त धर्म सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासीगण लौढ़िया बुजुर्ग थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). यातायात माह के परिपेक्ष्य में आज दिनाँक-15.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात निरीक्षक श्री मनोज कुमार द्वारा कोतवाली कर्वी के ग्राम खुटहा में ग्राम वासियों के साथ यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में ग्राम वासियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हुए जानकारी दी एवं नियमों पालन करने हेतु बताया।

इस रैली में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री चन्द्रमणि पाण्डेय व यातायात उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व ग्राम खुटहा के समस्त सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे।